हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश वगैरा बनाम सुरेन्द्र वगैरा धारा 111.128 प्रकरण सख्या 28 / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 111.128 भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश नही किया गया। तहसीलदार लूणी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई जो दिनाक 27.12.2021 से पत्रावली पर मौजूद है। सुना गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 37 बीधा वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी का सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया जिसमे हल्का पटवारी के मार्फत रिपोर्ट मगॅवाई गई जिसमे भी प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 का रिकोर्ड मे रकबा 37 बीधा दर्ज है परन्तु मौके पर 32.15.16 बीधा हि कब्जा है तथा पडौसी खातेदारान् के कब्जे मे 04.04.04 बीधा भूमि अधिक होना प्रकट हो रहा है साथ हि प्रार्थी गण ने कथन किया कि एक काश्तकार का अपनी खातेदारी की कृषि भूमि सीमाज्ञान एव पत्थरगढी करवाने का कानुनी अधिकार भी है परन्तु प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है इस कारण सीमाज्ञान करवाया जाने तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थरगढी भी की जावें।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। धारा 111.128 भू. राजस्व, अधिनियम एक समरी प्रोसिडिग है। एक खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी की सीमा का ज्ञान एव उसका पत्थरगढी करवाने का कानुनी अधिकार है तथा विवाद की दशा मे उक्त क्षैत्राधिकार न्यायालय का है उक्त प्रकरण मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 37 बीधा ग्राम सालावास दर्ज है। तथा हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनॉक 23.12.2021 मे हल्का पटवारी ने अकित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकार्ड मे 37 बीधा दर्ज है परन्तु मौके पर 32.15.16 बीधा ही है तथा 04.04.04 बीधा कम है तथा उक्त कम रकबा पडौसी खातेदारान् ओमप्रकाश जोधसिह सुरेन्द्र मोहनलाल वीटेड नदकिशोर के पास अपनी खाते मे दर्ज भूमि मे ज्यादा है अर्थात अप्रार्थी ओमप्रकाश जोधसिह सुरेन्द्र मोहनलाल वीटेड नदकिशोर से प्रार्थी प्रभावित है तथा इनके बीच मे ही सीमा एव रकबे को लेकर स्पष्ट सीमा विवाद हो रहा है तथा तहसीलदार के मार्फत उक्त पक्षकारान के मध्य भूमि की नाप चौक कर पत्थरगढी की जाती है तो पक्षकारान का सीमा विवाद समाप्त हो जावेगा तथा मौका का रकबा का भी रिकार्ड के समरूप हो जावेगा जिसमे विवाद समाप्त हो जावेगा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 37 बीधा के प्रभावित व चतुर्दिश पडौसी खातेदारान् को भी पत्थरगढी की सुचना देकर पत्थरगढी की कार्यवाही सभावित की जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी